न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07/2018
जीसीएमएस नं. 48/2018
प्रविष्टि दिनांक 03.04.2018

जोरावर सिंह पुत्र स्व. गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी देवलीगांव, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

--अपीलान्ट

बनाम

1. ~~नोरत पंवार पुत्र नन्द सिंह पंवार कौम सवण्या सजपूत निवासी केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर सजस्थान।~~-(मृतक)
1/1. रामसिंह पुत्र नोरत पंवार निवासी अस्तल मोहल्ला, खिडकी गेट, केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
1/2. पुष्कर सिंह पुत्र नोरत पंवार निवासी अस्तल मोहल्ला, खिडकी गेट, केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
1/3. ललीता पत्नी नोरत पंवार निवासी अस्तल मोहल्ला, खिडकी गेट, केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
2. तहसीलदार देवली जिला टोंक

--रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 2167 दिनांक 03.07.2009
तहसीलदार देवली जिला टोंक

उपस्थिति : (1) श्री हिम्मत सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार
रेस्पोडेण्ट्स सं. 1/1 से 1/3 अनु.।

निर्णय

दिनांक 27/3/26

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.14 हेक्टेयर बारानी-1 वाके देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक का नामान्तरकरण संख्या 2167 दिनांक 03.07.2009 को तस्दीक किया है। उक्त नामान्तरकरण को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट की बहस को सुना गया एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपील में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। रेस्पोडेण्ट्स सं. 1/1 से 1/3 अनुपस्थित रहे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने अपने हक में जो नामान्तरकरण तस्दीक करवाया है, वह पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.06.2009 के आधार पर करवाया है, जबकि उपरोक्त विकय पत्र रेस्पोडेण्ट ने अपीलान्ट के पिता से कब करवाया, इसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी और न ही उसके किसी परिवार के सदस्य को ही थी। अपीलान्ट के पिता को किसी प्रकार के रूपयों की कोई पारिवारिक आवश्यकता भी नहीं थी, उक्त आराजी खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके देवली गांव अन्य आराजीयात के साथ पैतृक पुश्तैनी आराजीयात थी, जिसके संबंध में प्रथम तो स्वर्गीय गिरवर सिंह जी को पारिवारिक आवश्यकता के लिए रूपयों की आवश्यकता भी नहीं थी, द्वितीय रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने स्वर्गीय गिरवर सिंह जी को अन्य कार्य का बहाना बनाकर तहसील कार्यालय में ले जाकर गुपचुप तरीके से करवायी थी जिसके सम्बन्ध में स्वयं गिरवर सिंह जी को या उनके परिवार में किसी भी सदस्य को नहीं हो सकी और रेस्पोडेण्ट ने पटवारी हलका, गिरदावर हलका एवं तहसीलदार से साजिश करके नामान्तरकरण तस्दीक कराया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट अथवा उसके परिवारजनों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही नामान्तरकरण भरने से पूर्व तहसीलदार द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच मौके पर जाकर की गई। उक्त भूमि पर पूर्व में स्वर्गीय गिरवर सिंह जी का तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार देवली द्वारा उक्त नामान्तरकरण कब्जे की जांच नहीं करके रेस्पोडेण्ट का कब्जा उक्त भूमि पर नहीं होने के बाद भी उसके पक्ष में तस्दीक किया है जो मौके के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त नामान्तरकरण तहसीलदार देवली द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया गया है, क्योंकि नामान्तरकरण भरकर पटवार हलका को स्थानीय ग्राम पंचायत के समक्ष तस्दीक करने हेतु पेश करना चाहिए था और ग्राम पंचायत द्वारा यदि नामान्तरकरण को 45 दिन की अवधि में तस्दीक नहीं किया जाता तो उसके उपरान्त ही तहसीलदार जी के समक्ष नामान्तरकरण तस्दीक कर सकते थे। तहसीलदार जी ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2009 के आधार पर भरे हुए नामान्तरकरण को दिनांक 03.07.2009 को ही तस्दीक कर दिया। जो जल्दबाजी में बिना कब्जे की जांच किये ही रजिस्टरी की दिनांक से केवल 4 दिन में नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त भूमि पर वर्तमान में भी अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार जी द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व न तो मौके पर जाकर कब्जे की जांच की गई और न ही पडोसी काश्तकारों के बयान लिये गये । इस प्रकार तहसीलदार जी देवली द्वारा उक्त नामान्तरकरण बिना मौके की जांच किये ही नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं. 2167 दिनांक 03.07.2009 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेण्ट्स सं. 1/1 से 1/3 अनुपस्थित रहे। राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 2167 दिनांक 03.07.2009 विधि विधान एवं तथ्यों के अनुकूल है। उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2009 के आधार पर तस्दीक किया गया है। तहसीलदार देवली द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमयी जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण पत्रावली व दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 2167 दिनांक 03.07.2009 विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2009 के आधार पर तस्दीक किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त विक्रय पत्र की सत्यता पर सवाल किए है ऐसीं स्थिति में अपीलांट को उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करार दिए जाने हेतु संबंधित न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2167 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2009 के आधार पर तस्दीक किया गया है, जो नियमानुसार एवं विधिसम्मत है।

फलतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 2167 दिनांक 03.07.2009 वाके देवली गांव तहसील देवली सही प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोक